उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार – 249404

वेबसाइट– **www.ukpsc.gov.in**

टोल फ्री 18001804143

मो0 7060002410

विज्ञापन संख्या – A-1/E-3/AG(DR)/2021 दिनांक 13 अगस्त, 2021

सहायक भू–वैज्ञानिक (वैज्ञानिक शाखा) परीक्षा–2021
(Assistant Geologist (Scientific Branch) Exam-2021)

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	–	13 अगस्त, 2021
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	–	02 सितम्बर, 2021 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
आवेदन शुल्क Net Banking/Debit card/Credit card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	–	02 सितम्बर, 2021 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति, शुल्क की रसीद तथा समस्त शैक्षिक अभिलेख व आरक्षण संबंधी प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	–	16 सितम्बर, 2021 (कार्यालय समय सांय 6.00 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश

01. अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

02. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् **दिनांक 02 सितम्बर, 2021** तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह तिथि मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।

03. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

04. आयोग में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा : पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी एवं आयु इत्यादि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

05. फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (Debar) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

06. प्रश्नगत् परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं **नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड** के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

07. अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु, एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा अभ्यर्थी के संबंधित पद हेतु इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

08. अभ्यर्थी पाठयक्रम के लिये **परिशिष्ट–01** आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिये निर्धारित प्रारूप हेतु **परिशिष्ट–02** तथा न्यूनतम अर्हक अंक हेतु **परिशिष्ट–03** का अवलोकन करे।

09. लिखित परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी।

10. प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के **परिशिष्ट–03** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को अपनी आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (Merit) के आधार पर प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

11. अभ्यर्थी को निर्धारित प्रक्रियानुसार आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर दिये गये लिंक का प्रयोग करते हुए लिखित परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त, आवेदन–पत्र में अंकित दावों के समर्थन में शैक्षिक/आरक्षण/मूल निवास/अधिवास/अधिमानी अर्हता सम्बन्धी समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाइन आवेदन–पत्र के प्रिंट आउट तथा जमा निर्धारित शुल्क की रसीद के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 16 सितम्बर, 2021 की सायं 6.00 बजे तक सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें।

नोटः आवेदन–पत्र के साथ समस्त शैक्षिक एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। समस्त वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

12. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा करना सुनिश्चित करें।

13. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) होने की दशा में अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि की सूचना तथा परीक्षा व साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व लिखित व साक्षात्कार परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

14. ऑनलाईन आवेदन स्वीकार्य किये जाने की निर्धारित अंतिम तिथि/समय के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर सकता है किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को संशोधित/नवीन ऑनलाईन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, भू–वैज्ञानिक (वैज्ञानिक शाखा) के अन्तर्गत सहायक भू–वैज्ञानिक (समूह– 'ख') के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं।

01. रिक्तियों का विवरण : रिक्तियों की कुल संख्या 02 है। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की यह संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत हैः–

क्र.सं.	विभाग	पद का नाम	श्रेणीवार विवरण			
			GEN (UF)	SC	ST	OBC
01	लोक निर्माण विभाग	सहायक भू–वैज्ञानिक	01	00	00	01

02. पदों की संख्या : 02 (01 पद अनारक्षित (उत्तराखण्ड महिला) एवं 01 पद उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित)।

03. पद का स्वरूप : राजपत्रित/ स्थायी/ अंशदायी पेंशनयुक्त/(समूह–ख)।

04. वेतनमान : 56100–177500 (Level-10)

05. अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :

(1) सहायक भू–वैज्ञानिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी ने विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भू–विज्ञान, जिसमें व्यावहारिक भू–विज्ञान सम्मिलित है, में परास्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि प्राप्त की हो।

06. अधिमानी अर्हता : ऐसे अभ्यर्थी को, जिसनेः–

(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम् अवधि तक सेवा की हो, या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या
(3) सहायक भू–वैज्ञानिक के मामले में भू–विज्ञान, जिसमें व्यावहारिक भू–विज्ञान सम्मिलित है, में पी0एच0डी0 प्राप्त कर ली हो या किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संगठन या संस्थान में भवनों और पुलों के नींव सम्बन्धी कार्यों का भू–विज्ञानी प्रयोगों का तीन वर्ष के शोध का अनुभव प्राप्त कर लिया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

07. आयु सीमा : आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 है । अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 2000 के पश्चात् तथा 02 जुलाई, 1979 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

08. अधिकतम आयु सीमा में छूट : विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in देखें।

09. उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उप श्रेणी की सूचना प्रदान करने एवं आरक्षण का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

10. यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

11. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें।

12. राष्ट्रीयता : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–
(क) भारत का नागरिक हो; या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो; परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

13. **चरित्र** : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

14. **वैवाहिक प्रास्थिति** : सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

15. **शारीरिक स्वस्थता** : किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद की परीक्षा उर्त्तीण करे।

16. **आरक्षण** : उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनाथ अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in देखें।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनाथ, पूर्व सैनिक, निःशक्त (विकलांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी0एफ0एफ0) तथा महिला श्रेणी के **ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।**

(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के **"परिशिष्ट–2"** में मुद्रित निर्धारित प्रारुप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ साक्षात्कार से पूर्व संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख **"परिशिष्ट–2"** में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र

प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर लिखित परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(घ) विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम **40 प्रतिशत की विकलांगता** होना अनिवार्य है। सम्बन्धित विषय में जिस–जिस विकलांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित हैं, उसी विकलांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

नोटः– उपरोक्त रिक्तियों के सापेक्ष दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु चिन्हित श्रेणी OA व PD निर्धारित है।

(ड.) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या–124/XXX(2)/2020–53(01)/2001 दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर–8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease" का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व तक आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

(च) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

(छ) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

(ज) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 397/XXX(2)2019-30(2)/2019, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

(झ) शासनादेश संख्याः 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत परिशिष्ट–2 के साथ संलग्न है।

17. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया :

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या https://ukpsc.net.in पर जायें।

(2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात https://ukpsc.net.in पर जाकर MenuBar में How to Apply लिंक पर क्लिक करें। How to Apply page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात Apply Now पर क्लिक करें।

(3) Apply Now पर क्लिक करने के पश्चात् Basic Information फॉर्म पर अपनी सही जानकरी भरकर Login हेतु Password बनाकर Continue पर क्लिक करें। Continue पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।

यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर Tick कर Submit पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर Tick कर Edit Data पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः Registration फार्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

(4) Submit पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं Registered Mobile No. एवं Email पर Message प्राप्त होगा। तत्पश्चात स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।

(5) Login करने के पश्चात Educational Details अथवा Proceed To Next Step बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर, Essential Educational Qualifications के अन्तर्गत सर्वप्रथम High School, Intermediate का विवरण भरें एवं Add Education Details पर क्लिक करें, भरा गया विवरण Add Education Details के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। इसी तरह Intermediate, Gradudation शैक्षिक अर्हताएं भरें। एक से अधिक Graduation, Post-Graduation के विवरण को भरने की स्थिति में Clear पर क्लिक कर Graduation/Post Graduation Details में Qualification Type में पुनः Graduation/Post Graduation का चयन कर विवरण भरकर Add Education Details पर क्लिक करें एवं प्रदर्शित अन्य जानकारी भरकर Submit बटन पर क्लिक करें।

उसके पश्चात् दी गयी Warning का सम्यक अध्ययन कर Continue बटन पर क्लिक करें। ततपश्चात् Upload Images पर क्लिक कर Photo एवं Signature को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। Photo एवं Signature के अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को Tick करने के बाद शुल्क जमा करने हेतु Click here to Make Payment पर क्लिक। Pay Now पर क्लिक कर आवेदन शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करें। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात Print Application Form पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

(6) परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र में **त्रुटि होने पर** अभ्यर्थी अपना **आवेदन रद्द (Cancel)** कर **पुनः आवेदन** कर सकते हैं। रद्द किये गये आवेदन पत्र का जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। **आवेदन रद्द (Cancel)** करने के लिए Cancel My Application बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्यन करने के पश्चात घोषणा को Tick कर Proceed to Cancel बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु Back बटन पर क्लिक करें। Proceed to Cancel पर क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थी के पजींकृत मोबाइल पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसको की Enter OTP वाली फील्डस पर दर्ज कर Cancel Application बटन पर क्लिक करें। आवदेन **रद्द (cancel)** करने के पश्चात उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट : 1 आवेदन शुल्क जमा किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी Email-Id/Mobile Number एवं Password के माध्यम से Login करने के पश्चात् Update Personal Information पर क्लिक कर, Personal Information ,

Update Educational Information पर क्लिक कर, Educational Qualification एवं Reload Images पर क्लिक कर, Photo एवं Signature को पुनः अपलोड़ कर सकते हैं। **ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाइल न0 को Edit/Update नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी** ukpschelpline@gmail.com **पर ई–मेल कर सकते हैं।**

2. आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

3. परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है। **(उक्त परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रूपये 26.55 है।)**

4. **उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी** हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के बाद Click here for Final Submission बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

18. शुल्क :– प्रश्नगत् परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–

क्र0सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन–शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित (उत्तराखण्ड महिला)	रू0 150/–	रू0 26.55/–	रू0 176.55/–
02.	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (उत्तराखण्ड महिला)	रू0 150/–	रू0 26.55/–	रू0 176.55/–
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 150/–	रू0 26.55/–	रू0 176.55/–
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (उत्तराखण्ड महिला)	रू0 60/–	रू0 26.55/–	रू0 86.55/–
05.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (उत्तराखण्ड महिला)	रू0 60/–	रू0 26.55/–	रू0 86.55/–
06.	पूर्व सैनिक अभ्यर्थी	रू0 150/–	रू0 26.55/–	रू0 176.55/–
07.	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	–
08.	उत्तराखण्ड शारीरिक दिव्यांग (पद हेतु चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग)	कोई शुल्क नहीं	रू0 26.55/–	रू0 26.55/–

नोट :– उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, **यथा**–अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी **वर्ग/श्रेणी** हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

19. अभ्यर्थियों के लिए लिखित/ साक्षात्कार परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :–

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन–2016 और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली– 2012 यथा संशोधित प्रथम संशोधन–2013, द्वितीय संशोधन–2014, तृतीय संशोधन–2015 एवं चतुर्थ संशोधन–2016 आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(03) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) से पूर्व अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, मूल निवास/अधिवास आदि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में जमा किये जाने की निर्धारित अन्तिम तिथि **16 सितम्बर, 2021** तक उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा **(Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019** के आलोक में सम्पन्न की जायेगी।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के पूर्व तत्समय आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

(05) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई–मेल ukpschelpline@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

(06) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत '**अनापत्ति प्रमाण–पत्र**' अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

(07) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिए यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए आहूत किये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार तिथि व पाठ्यक्रम की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(08) लिखित परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी।

(09) गलत उत्तरों के लिए दण्ड – वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा –

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यो न हो, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(10) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त् आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त् प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो आयोग द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त् विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(11) लिखित परीक्षा में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(12) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(13) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(14) परीक्षा केन्द्र में आचरण – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर–पुस्तिका/उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(15) अँगूठे का निशान (Thumb Impression) – सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(16) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् निर्धारित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा, जिन्होंने आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किये हो। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंको में जोड़ दिये जायेगें।

(17) आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंको के कुल योग से प्रकट है, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफाारिश करेगा, जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर कुल अंक प्राप्त करे तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा;

परन्तु यह कि आयोग आवेदन पत्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए साक्षात्कार के माध्यम से भी चयन कार्यवाही सम्पादित कर सकता है।

(18) (1) लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंको की परीक्षा हेतु साक्षात्कार के 25 अंक होंगे।

(2) आवेदन पत्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए साक्षात्कार के माध्यम से चयन होने की दशा में आयोग के संकल्प के अनुसार कुल अंक 100 होंगे। साक्षात्कार में सामान्य श्रेणी एवं संबंधित उपश्रेणी के पदों हेतु परीक्षा में पूर्णांक का न्यूनतम अर्हकारी 45 प्रतिशत अंक, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं संबंधित उपश्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु न्यूनतम अर्हकारी 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। उक्त निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले चयन हेतु अनर्ह माने जायेगे। न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने के पश्चात् ही मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जाएगी।

अनिवार्य रूप से अर्हकारी अंकों का उल्लेख परिशिष्ट– 03 पर उल्लिखित है ।

(19) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(20) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(21) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(22) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(23) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन–पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जायेगा एवं आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/ Credit Card के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(24) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules- 2013 यथा संशोधित –2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(25) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः– अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(26) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगाः–1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ड.) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्व उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(27) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(28) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(29) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

(30) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(31) सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा।

(32) अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(33) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारुपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

(34) आयोग द्वारा चयन परिणाम पद हेतु विहित संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार तैयार किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

–SD-

(कर्मेन्द्र सिंह)
सचिव

Syllabus for Assistant Geologist

Number of Question-200 **Maximum Marks : 200**

Time : 3 Hours

(This Syllabus have five parts. 40 questions must be selected from each part)

Part -1

Number of Question: 40 **Marks: 40**

Unit- 1- General Geology and Geomorphology: Origin, age and interior of the earth; Fundamental principles of Geomorphology; Cycle of erosion; Landscape evolution; Weathering and soil formation; Glacial, aeolian, fluvial, lacustrine, coastal, Karst and volcanic landforms; Ocean bottom topography; Drainage development and slope morphology; Landforms of Himalaya.

Unit- 2- Crystallography and Mineralogy : Fundamentals of mineral Chemisty; Ionic Radii; Co-ordination number and bonding forces; Symmetry elements; Repetition theory; Hermann-Mauguin symbols; Plane lattice; unit cells; Bravais lattices and space groups; Crystal forms; Symmetry classes and crystal systems; Crystal structure; Polymorphism; Isomorphism; Physical, chemical and optical properties of minerals; Crystal defects and Crystal imperfections; Gems and semi-precious stones; Important Carbonate, Halide, Hydroxide, Native element, Oxide, Phosphate, Silicate and Sulfide groups of minerals; Defferent types of crystal projections-Spherical and Stereographic; Twinning and twinning laws; Common types of twins and their examples.

Unit- 3- Structural Geology : Concept and measurement of stress and strain; Strain and stress ellipsoids; Classification and mechanics of folds, faults/thrust, joints, lineation and foliation; Unconformities; Boudins; Structural behaviour of igneous rocks; Diapers and salt domes; Introduction to petrofabrics.

Unit- 4- Global Tectonics : Structural control in basin development; Orogeny and epiorogeny; Rift valleys and grabens; Isostasy; Island arcs; Shields and cratons; Continental drift; Sea floor spreading; Plate tectonics; Geomagnetism and palaomagnetism; Neotectonics and active tectonics; Tectonic geomorphology; Structure, tectonics and origin of the Himalaya.

Part -2

Number of Question: 40 **Marks: 40**

Unit- 1- General Palaeontology and Palaeobotany: Origin of life; Organic evolution, migration, dispersal and extinction; Early Precambrian life; Ediacaran fossil assemblage; Stromatolites; Trace fossils; Types, mode of preservation, significance and nomenclature of fossils; Biotic distribution; Zoogeographic provenance; Morphology, distribution and significace of Godwana flora.

Unit- 2- Invertebrate Palaeontology (I) : Morphology, geological history, brief evolutionary trends and modes of life of Bivalvia, Gastropoda and Cephalopoda.

Unit- 3- Invertebrate Palaeontology (II): Morphology, geological history, brief evolutionary trends and modes of life of Echinoidea, Cnidaria, Trilobita and Graptolithina.

Unit- 4- Vertebrate Palaeontology and Microfossils : Evolution of Vertebrates; Evolution of man, horse, elephant and mass extinction of Dinosaurs; Siwalik Vertebrate fauna; Study of microfossils with special reference to foraminifera, radiolaria, ostracods, diatoms, conodonts and their applications to palynology, palaeoclimatology and oil exploration.

Part-3

Number of Question: 40 **Marks: 40**

Unit- 1- Principles of Stratigraphy : Principle of Stratigraphy; Geological time scale; Stratigraphic correlation; Code of stratigraphic nomenelature; Brief idea about magnetostratigraphy and seismic stratigraphy; Facies concept in stratigraphy; Walther's Law; Palaeogeography and palaeoclimate during different geological periods; Stratigraphic nomenclature and various schemes namely, Lithostratigraphy Magnetostratigraphy and Allostratigraphy.

Unit- 2- Precambrian Stratigraphy: Evolution of Greenstone belts and high-grade metamorphic terrains during Precambrian; Mobile Belts; Unmetamorphosed Proterozoic successions of India, namely Aravalli, Dharwar, Bastar, Singhbhum, Kaladgi, Cuddupah, Vindhyan, Chattisgarh, Kurnool, Bhima, Marwar and Lesser Himalayan sedimentary belts; Precambrian-Cambrian boundary; Global Precambrian events.

Unit- 3- Phanerozoic Stratigraphy- I (Palaeozoic and Mesozoic): Palaeogeography and important events of the Palaeozoic Era; Permian –Triassic boundary; Marine Triassic sequences of the Himalaya; Gondwana Supergroup; Global events of Jurassic and Cretaceous periods; Jurassic successions of western India; Cretaceous successions of Cauvery basin and Narmada valley; Cretaceous-Tertiary (KT) boundary; Deccan Volcanics and associated sedimentary beds (Infra and Inter Trappean).

Unit- 4- Phanerozoic Stratigraphy- II (Cenozoic and Quaternary) : Palaeogene and Neogene global events and successions in India; Neogene-Quaternary boundary; Evolution of the Indo-Gangetic Plain; Quaternary time and its significance; Climatic cycles during Quaternary; Milankovitch cycles; Terminal Pleistocene-Holocene climatic and sea level changes.

Part-4

Number of Question: 40 **Marks: 40**

Unit- 1- Igneous petrology: Magmatic differentiation- mechanism and effects; Magmatic crystallisation- Bowen's reaction principle; Crystallisation of bi-component magma; Ternary magma (Ab-An-Di system and An-Di-Fo, system; Gibb's phase rule- defination of phase, component and degree of freedom; Application of phase rule in bi-component and tri-component magma; Texture and structures of igneous rocks; Classification of igneous rocks (only IUGS); Granite and other granitoid rocks and ophiolite; Petrological characters of common rock association; Variation diagrams; Magma generation in the crust and mantle; Differentiation of Magmas; Layered basic Intrusives; Petrogenesis and petrography of Granites, Kimberlites, Komatiites, Carbonatites, Aplite, Anorthosite, Andesite, Basalt, Charnockite, Diorite, Dunite, Dacite, Doletite, Gabbro, Granodiorite, Lamprophyre, Monzonite, Pegmatite, Phonolite, Peridotite, Syenite, Trachyte, Tephrite, Tonalite.

Unit - 2- Sedimentary petrology / Sedimentology : Sediment characteristics and their analysis; Concept of flow regime and bedforms; Principles of facies analysis; Transgressions – Regressions; Principles of sequence stratigraphy; Facies models and depositional sequences of fluvial, delta, tidal-flats and deep-sea regions; Classification of major sedimentary rocks; Diagenesis of sandstones and carbonates; Principles of basin analysis; Sedimentary basins of India; Important Sedimentary structures; Petrogenesis and petrography of the rock types, namely Argillite, Arkose, Breccia, Chert, Claystone, Conglomerate, Dolomite, Evaporite, Greywacke, Limestone, Marl, Mudstone, Sandstone.

Unit- 3- Metamorphic petrology and Geochemistry : Elementary concepts of thermodynamics: Entropy, Enthalpy, Gibb's Free Energy, Activity, Fugacity, Equilibrium constant; Laws of thermodynamics; Application of Trace and Rare Earth Elements (REE) in Petrogenesis; Use of Stable isotopes of Oxygen, Hydrogen, Carbon, Sulphur and Strontium; Factors controlling metamorphism; Textures and structures of

Metamorphic rocks; Basic concept of P-T-t paths; Concept of metamorphic facies; Metamorphic grades and index minerals; Regional metamorphism in relation to Plate tectonics; Metasomatism and metamorphic differentiation; Petrogenesis of granulites and Eclogites; Origin and structure of migmatites; ACF and AKF diagrams; Inverted metamorphism of Himalaya and Himalayan metamorphism; Petrogenesis and petrography of the rock types, namely-Amphibolite, Blueschist, Eclogite, Gneiss, Granulite, Greenschist, Hornfels, Marble, Migmatite, Mylonite, Phyllite, Quarzite, Schist, serpentinite, Khonadalite, Gondite; Abundance of elements in the Cosmos and Earth; Geochemical differentiation of the earth; Goldschmidt's geochemical classification of elements; Geochemical cycle; Principles of ionic substitution in minerals; Distribution coefficient.

Unit - 4- Economic mineral Deposits and Energy resources : Controls of ore localization; Magmatic deposits: Chromium and Platinum Group of element (PGE) deposits; Hydrothermal deposits; Porphyry; Copper deposits and Gold in Archaean and Proterozoic terrains; Placer deposits; Ores related to weathering processes: Bauxite and Laterite; Sediment hosted Copper, Lead–Zinc deposits; Iron and Manganese ores of sedimentary affiliation; Origin of Manganese nodules; Generation of Hydrocarbons; Migration of hydrocarbons; Structural, Stratigraphic and combination traps; Reservoir characteristics; Gas hydrates; Coal Bed Methane; Shale Gas; Hydrocarbon occurrences of Assam, Cambay, Bombay High and Krishna-Godavari areas; Origin and Distribution of Coal deposits of India; Atomic Minerals in India; Geothermal Energy resources of India.

Unit - 5- Mineral Exploration and Geophysics : Methods of mineral prospecting: Geological, Geochemical and Geobotanical; Methods of sampling; Assaying and evaluation of mineral deposits; Classification of mining methods; Open Cast mining; Underground mining; Ore-dressing; National Mineral Policy; Densities of Rocks and Gravity Anomalies; Magnetism: Geomagnetism and Palaeomagnetism; Electrical Properties and Resistivity surveying; Vertical Electrical Sounding (VES); Electrical Imaging; Magnetotelluric Surveying (MT), Seismic Prospecting.

Part-5

Number of Question: 40 **Marks: 40**

Unit - 1- Engineering Geology and Remote Sensing : Engineering properties of rocks; Rock mass classification; Behaviour of rock on application of stresses; Mohr's failure criteria; Tunnels: their type; Stress conditions in tunnels; Site selection for tunnel excavation and support; Earthquake resistant structures; Dams and their types; Geotechnical problems associated with bridges and dams; Site selection for dam construction; Case studies of Indian dams: Bhakra, Tehri, and Idduki Dams; Site selection for the construction of roads and bridges in hilly terrains; Landslide classification, causes, preventive methods and landslide hazard zonation maps. Underground excavations: Problems and remedies; Concepts of Photogrammetry; Aerial photographs; Principles of photo and image interpretation: photo elements, geotechnical elements; Interpretation of aerial photographs and satellite imageries related to lithology, structure, mineral and ground water exploration; Fundamental concepts of remote sensing; Electromagnetic spectrum and its interaction with atmosphere and earth surface objects; Atmospheric windows; Platforms; Sensors: active and passive; Sensors on LANDSAT, SPOT and IRS; Digital image processing; Image enhancement and classification; Microwave remote sensing: Principles and uses; Concept of GIS; Data structures in GIS: Spatial, Non-spatial, Raster and Vector; Spatial Data Analysis and Modelling: DEM, TIN, DTM.

Unit - 2- Environmental Geology : Scope of Environmental Geology; Earth as a System; Ecosystem; Global Biogeochemical cycle; The Gaia hypothesis; Concepts of Environmental Geology; Application of Geology to sustainable development; Geological

causes of environmental degradation- lithological, structural, geomorphological and anthropogenic causes; Soil pollution and desertification; Environmental Impact Assessment (EIA); Eco-Tourism; Sediment pollution and its role in environmental studies; River water pollution; Groundwater pollution; Water quality; Nitrate hazard, Fluorine and Arsenic pollution; Waste Disposal: Management and recycling; Fly-ash; Greenhouse effect, Global warming and related environmental problems; Environmental Protection Law; Types and distribution of natural hazards; Floods, their type and distribution, flood hazard zonation; Tsunamis: causes and distribution; Cylcones in the Indian seas; Landslides: their types; Earthquake: Fundamental Concepts; Seismic zonation map of India; Avalanches.

Unit - 3- Hydrogeology : Hydrological cycle; Occurrence of Groundwater; Genetic classification of water; Darcy's law; Water-bearing characteristics of rocks; Types and characteristics of Aquifers and springs; Artificial recharging of aquifers; Techniques of Ground water exploration; Saline water intrusion; Types of wells; Ground water regimes of India; Rain water Harvesting.

Unit - 4- Geological Instrumentation and Field Geology: Toposheet study, Satellite Imagery and Aerial Photograph; Total Station; Petrological Microscope; X-ray Diffraction (XRD); Atomic Absorption Spectro-photometer (AAS); Scanning Electron Microscope (SEM), Ground Penetrating Radar (GPR), Global Positioning System (GPS); Induced Couple Plasma Mass Spectro-photometer (ICPMS); Electron Probe Micro Analyser (EPMA); Computer applications in Geology.

''परिशिष्ट–02''

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ....नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड के राज्य की ..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला .....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी

मजिस्ट्रेट/उप जिला

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील .... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड की .....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील .....नगर .....जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

मुहर :

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पदनाम .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ..... निवासी ग्राम .....तहसील .... नगर ..... जिला .....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/ पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :

हस्ताक्षर .....

दिनांक :

पूरा नाम.....
पदनाम .....
मुहर .....

.

जिलाधिकारी .....
(सील) .....

निःशक्तता प्रमाण–पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – .....

तारीख .....

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .....
.....आयु..... लिंग..... पहचान चिन्ह.....
निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनां पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी–बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत ..... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

(i) एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(ii) पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है। हॉ/नहीं

(iii) एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(iv) के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं हॉ/नहीं

(v) बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(vi) एस–बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं। हॉ/नहीं

(vii) एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(viii) डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(x) एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(xi) आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

डा0.....)	(डा0.....)	(डा0.....)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

शासनादेश संख्याः 374(1)/xxx(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत :–

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmarkविकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–4(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–4(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–4(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–4(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–4(1)** प्रमाणपत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा(प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।

6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की–बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।

7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।

9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू–तल के निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिशिचित की जाएगी।

–SD-

(कर्मेन्द्र सिंह)
सचिव

APPENDIX-4(1)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs ---------- (name of the candidate with disability), a person with ---------- (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o ----------, a resident of ---------- (Village/District/State) and to state that he/she has physical limition which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution

Name & Designation

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg.Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

APPENDIX-4(2)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I ----------, a candidate with ----------(name of the disability) appearing for the ----------(name of the examination) bearing Roll No. ---------- at ---------- (name of the centre) in the District ---------- (name of the State). My qualification is ----------.

I do hereby state that ----------(name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is ----------. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट–03

सहायक भू–वैज्ञानिक (वैज्ञानिक शाखा) परीक्षा– 2021 के विभिन्न चरणों हेतु न्यूनतम् अर्हकारी अंक :–

अनारक्षित वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है :–

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी	लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम् अर्हक अंक प्रतिशत में।	लिखित परीक्षा की दशा में लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	40%	45%
2	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%	40%

नोट– सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही मेरिट के आधार पर प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।